न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00072 (72/2019) 223 आरटीएक्ट

पूर्णराम पुत्र जालुराम जाति ब्राहम्ण निवासी करोती तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजकुमार } पि0 मनफूल जाति ब्राहम्ण निवासी दीपलाना तहसील नोहर
2. मोहनलाल } जिला हनुमानगढ।
3. मनफूल पुत्र जालुराम जाति ब्राहम्ण निवासी दीपलाना तहसील नोहर हाल आबाद भट्टू शक्ति लैस हाउस गली भट्टू मंडी जिला फतेहाबाद।
4. माली पत्नी जालूराम जाति ब्राहम्ण निवासी करोती तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. महेन्द्र पुत्र मनफूल जाति ब्राहम्ण निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल आबाद भट्टू शक्ति लैस हाउस गली भट्टू मंडी जिला फतेहाबाद

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 27.03.2018 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र. सं. 350/2017 बअनवानी राजकुमार आदि बनाम मनफूल आदि

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री हरिसिंह स्याग अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांकः–07.01.2020

1. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत अर्जीदावा पेश किया। अर्जीदावा में रोही मौजा सोती बड़ी हाल ख0 नं0 146 की 2.9340 है0 ख0 नं0 147 की 2.9850, तथा ख0 नं0 150 की 4.5020 है0 तथा वाके रोही मौजा करोती के हाल ख. नं. 13 की 2.7820 है0 व ख0 नं0 77 की 2.6880 है0 भूमि को संयुक्त परिवार की कृषि भूमि बताते हुए उसमे वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा होने का कथन करते हुए कथन किया कि जालुराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने उक्त भूमि अपने नाम से दर्ज करवाली जो कतई गलत दर्ज करवाली है। उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 3 का जन्म से हक व हिस्सा होने के कारण उसमें प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा है। वादीगण ने उक्त भूमि को वादपत्र में वर्णितानुसार खातेदार घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

27.03.2018 के द्वारा वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दावा में अंकित कुर्सीनामा पर कतई गौर नहीं किया एवं निर्णय पारित करते समय बगैर दस्तावेजों का अवलोकन किये पारित किया गया है, क्योंकि पूर्णराम का रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के हाल खसरा नं. 146 की 2.9340 है0, ख0 नं0 147 की 2.9850 है0 भूमि एवं ख0. नं. 150 की 4.5020 है0 भूमि में संयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा वाके रोही मौजा करोती तहसील नोहर के हाल ख0. नं0 13 की 2.7820 है0, ख0 नं0 77 की 2.6880 है0 कुल 5.4700 है0 भूमि में संयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट के नाम दर्ज है तथा अपीलाण्ट की माता माली का 1/6 हिस्सा दर्ज है एवं रेस्पो0 सं0 1 व 2 द्वारा समस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा दर्ज करवा लिया है जो कतई गैर कानूनी ढंग से दर्ज करवाया है। रेस्पो0 सं0 1 ता 2 द्वारा दावा में अधूरा कुर्सीनामा पेश किया। इन्होंने अपनी दो सगी बहनों को दावा में पक्षकार नही बनाया। स्टेट को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

4. अपीलाधीन निर्णय का पूर्व में ज्ञान नही था तथा अपीलाण्ट पटवारी हल्का से अपना नाम जमबन्दी में पूर्ण की बजा पूर्णाराम संशोधित करवाने हेतु मिला तो पटवार हल्का ने बताया कि आपका नाम जमाबन्दी से कलमजन किये जाने के आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिये जा चुके हैं तब अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई और बिना किसी देरी के नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि है जिसमें पक्षकारान का वाद में वर्णित अनुसार हक हिस्सा था। हमने पूर्णका हिस्सा नही मांगा जो हिस्सा कम किया गया है वह मनफूल व माली के हिस्से में से कम किया जाने का अंकन सहवन से रह गया ये एक कलेरीकल मिस्टेक है। हमने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 152 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था। अपीलाण्ट आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. अपील में प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम सोतीबड़ी तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में अपीलाण्ट पूर्णराम का खसरा नं. 146 की 2.9340 है0, ख0 नं0 147 की 2.9850 है0 भूमि एवं ख0. नं. 150 की 4.5020 है0 भूमि में संयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम करोती तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2071 से 74 से होती है जिसमें पूर्ण पुत्र जालू का ख0. नं0 13 की 2.7820 है0, ख0 नं0 77 की 2.6880 है0 कुल 5.4700 है0 भूमि में संयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट के नाम दर्ज है। उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं उसे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा उसकी भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज कर दी गई है। इसलिए अपीलाण्ट आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकार है। लिहाजा अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जात है।

8. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे लिहाजा अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान न होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है और अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

9. अधीनस्थ न्यायालय में वाद घोषणा रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने पेश किया था जिसमें रोही मौजा सोती बड़ी हाल ख0 नं0 146 की 2.9340 है0 ख0 नं0 147 की 2.9850, तथा ख0 नं0 150 की 4.5020 है0 तथा वाके रोही मौजा करोती के हाल ख. नं. 13 की 2.7820 है0 व ख0 नं0 77 की 2.6880 है0 भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 3 प्रतिवादी संख्या 1, 2 पांचों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये हैं।

10. अपीलाण्ट का कथन है कि पूर्णराम का रोही मौजा सोती बड़ी तहसील नोहर के हाल खसरा नं. 146 की 2.9340 है0, ख0 नं0 147 की 2.9850 है0 भूमि एवं ख0. नं. 150 की 4.5020 है0 भूमि में संयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा वाके रोही मौजा करोती तहसील नोहर के हाल ख0. नं0 13 की 2.7820 है0, ख0 नं0 77 की 2.6880 है0 कुल 5.4700 है0 भूमि में संयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट के नाम दर्ज है तथा अपीलाण्ट की माता माली का 1/6 हिस्सा दर्ज है एवं रेस्पो0 सं0 1 व 2 द्वारा समस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा दर्ज करवा लिया है जो कतई गलत ढंग से दर्ज करवाया है। अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत ग्राम सोतीबड़ी तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में अपीलाण्ट पूर्णराम का खसरा नं. 146 की 2.9340 है0, ख0 नं0 147 की 2.

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

9850 है0 भूमि एवं ख0. नं. 150 की 4.5020 है0 भूमि में संयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम करोती तहसील नोहर की जमाबंदी संवत 2071 से 74 से होती है जिसमें पूर्ण पुत्र जालू का ख0. नं0 13 की 2.7820 है0, ख0 नं0 77 की 2.6880 है0 कुल 5.4700 है0 भूमि में संयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट के नाम दर्ज है। उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं उसे पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा उसकी भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज कर दी गई है जो विधि सम्मत नहीं है। आवश्यक एवं प्रभावित पक्षकारों को संयोजन के बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य नहीं है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.2018 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2018 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी आवश्यक पक्षकारों को वाद में बतौर पक्षकार संयोजित कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावंली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडी आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.02 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: